

रिपोर्ट पटवारी कुराबड़ तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंगित राख्य राही है। ग्राम कुराबड़  
खाता संख्या 25 मे प्रार्थी का नाम राम पुत्र लाल दर्ज है,  
कि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतावेजो मे राही नाम रामलाल पुत्र लाल दर्ज है। खाते  
दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपग्राप है। अतः ग्राम कुराबड़ की खाता  
संख्या 25 मे दर्ज नाम राम पुत्र लाल को बजाय राही इन्द्राज रामलाल पुत्र  
लाल दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

कुराबड़  
पटवारी 11/02/25  
पटवार मण्डल प्रामर कोटडा  
तह-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय तहसीलदार कुराबड़ जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुराबड़

की जमाबन्दी की खाता संख्या 25 मे दर्ज नाम राम पुत्र लाल

के बजाय सही नाम रामलाल पुत्र लाल दर्ज किया जाना

उचित है।

तहसीलदार  
कुराबड़, जिला उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर

-246/2025 कमांक/4023

दिनांक 31/12/25

दिनांक-30/12/25

::आदेशः

दिनांक-31/12/25 प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड़ की रिपोर्ट एवं सलग्न

तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ....

कोटडा की जमाबन्दी की खाता संख्या 25 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...

राम पुत्र लाल के बजाय सही नाम/इन्द्राज रामलाल पुत्र लाल

दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराबड़ आदेशानुसार

स्व रिकार्ड मे अगल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर